

भारत सरकार  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3513  
उत्तर देने की तारीख : 10.08.2021

भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति

3513. श्री अरूण कुमार सागर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक देश में विशेष रूप से देश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों की अनुमानित जनसंख्या कितनी है;

(ख) देश में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) देश में प्रत्येक राज्य में केंद्र सरकार द्वारा इन व्यक्तियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं क्या हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का आज की तिथि तक विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य सहित वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान आवंटित निधि कितनी है और उसका वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) विशेषरूप से उत्तर प्रदेश राज्य में इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले विकलांगों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री  
(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): जनगणना 2011 के अनुसार, देश में 2.68 दिव्यांगजन हैं। दिव्यांगजनों की कुल जनसंख्या में से 1.86 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र से हैं।

(ख): जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दृष्टि बाधिता ग्रस्त व्यक्तियों की कुल संख्या अनुबंध 1 पर संलग्न है।

(ग) से (च): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दृष्टि बाधिता ग्रस्त व्यक्तियों सहित दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित मुख्य योजनाएं लागू करता है:

- (i) सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप),
- (ii) दीन दयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस),
- (iii) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं,
- (iv) दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना,
- (v) सुगम्य भारत अभियान (एआईसी)

पिछले तीन वर्षों और अब तक के दौरान इन योजनाओं, आवंटित/जारी की गई निधि और लाभान्वित व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और वर्ष वार विवरण (उत्तर प्रदेश राज्य सहित) अनुबंध II पर संलग्न है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के अंतर्गत गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे के परिवारों के 18-79 वर्ष की आयु के गंभीर और बहु दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों को 300/-रूपये प्रति माह की दिव्यांगता पेंशन दी जाती है। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर यह पेंशन 500/-रूपये प्रति माह हो जाती है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आईजीएनडीपीएस के कार्यान्वयन के लिए शामिल लाभार्थियों और आवंटित निधियों की राज्य / संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण अनुबंध III पर संलग्न है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध I

दिनांक 10.08.2021 को उत्तरार्थ "भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति" के संबंध में श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3513 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध :

2011 की जनगणना के अनुसार दृष्टि बाधितों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या :

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दृष्टि बाधितों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश (अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना)	398144
2	अरुणाचल प्रदेश	5652
3	असम	80553
4	बिहार	549080
5	चंडीगढ़	1774
6	छत्तीसगढ़	111169
7	गोवा	4964
8	गुजरात	214150
9	हरियाणा	82702
10	हिमाचल प्रदेश	26076
11	जम्मू और कश्मीर (लद्दाख सहित)	66448
12	झारखंड	180721
13	कर्नाटक	264170
14	केरल	115513
15	मध्य प्रदेश	270751
16	महाराष्ट्र	574052
17	मणिपुर	19194
18	मेघालय	6980
19	मिजोरम	2035
20	नागालैंड	4150
21	एनसीटी ऑफ दिल्ली	30124
22	ओडिशा	263799
23	पंजाब	82199
24	राजस्थान	314618
25	सिक्किम	2772
26	तमिलनाडु	127405
27	त्रिपुरा	10828
28	उत्तराखंड	29107
29	उत्तर प्रदेश	763988
30	पश्चिम बंगाल	424473
31	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1084
32	दादर और नगर हवेली	429
33	दमन और दीव	382
34	लक्षद्वीप	337
35	पुडुचेरी	3608
	कुल	5033431

दिनांक 10.08.2021 को उत्तरार्थ "भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति" के संबंध में श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उठाए गए लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 3513 के भाग (ग) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध:

1. सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) योजना : योजना के तहत, देशभर में (उत्तर प्रदेश राज्य सहित) दृष्टि बाधित व्यक्तियों सहित पात्र दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत तथा वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्रों तथा सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियाँ जारी की जाती हैं जो उनकी दिव्यांगताओं के प्रभावों में कमी लाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दे सके और उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि कर सकें।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एडिप योजना के तहत निधियों के उपयोग का राज्य वार विवरण और शामिल लाभार्थियों की संख्या									
क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (31.07.2021 स्थिति के अनुसार)	
		उपयोग की गई निधियां (रूपये लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रूपये लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रूपये लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (रूपये लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1030.66	11195	802.02	6331	926.20	8748	678.84	3777
2	बिहार	829.93	13554	208.79	5420	636.21	12985	118.44	1150
3	छत्तीसगढ़	18.76	324	561.89	7409	400.80	4532	0	0
4	गोवा	51.05	838	2.48	76	173.03	3094	0	0
5	गुजरात	1074.74	16835	1215.03	24819	1272.52	21633	368.72	3996
6	हरियाणा	671.05	12519	1013.10	17617	371.74	3713	61.46	447
7	हिमाचल प्रदेश	78.57	2186	27.10	220	105.34	2304	0	0
8	जम्मू और कश्मीर	247.35	4456	213.19	2307	184.20	3907	75.88	834
9	झारखंड	259.41	4882	102.86	216	162.19	1809	12.14	157
10	कर्नाटक	687.48	9640	718.20	4997	476.82	5171	113.10	1116
11	केरल	410.40	5733	187.07	3833	300.27	3687	60.54	708
12	मध्य प्रदेश	1241.07	15317	948.41	17587	1770.08	20437	590.67	8384
13	महाराष्ट्र	2317.70	42305	2972.97	49762	2050.73	30057	1448.27	19280
14	ओडिशा	341.25	6374	723.18	9480	988.74	10526	6.68	103
15	पंजाब	1835.35	11685	914.25	18863	459.51	5996	169.49	1634
16	राजस्थान	1446.35	16874	1159.00	15343	550.27	6826	18.05	4
17	तमिलनाडु	708.02	16319	879.25	14557	695.42	14595	215.58	5389
18	उत्तर प्रदेश	<b>3540.71</b>	<b>55460</b>	<b>5234.60</b>	<b>109239</b>	<b>3542.46</b>	<b>41107</b>	<b>354.54</b>	<b>1081</b>
19	उत्तराखंड	150.32	4222	178.09	4299	262.22	5454	9.97	337
20	पश्चिम बंगाल	1321.46	21384	825.51	18047	991.73	18312	18.59	172
21	अंडमान और निकोबार	33.61	948	6.21	114	5.33	166	0	0
22	चंडीगढ़	3.88	88	11.83	227	51.36	622	0	0
23	दादर और नागर हवेली	0	0	17.79	333	2.49	87	0	0
24	दमन और दीव	4.26	74	0	0	12.45	130	0	0

25	दिल्ली	607.66	6410	199.17	2991	120.77	949	25.56	44
26	लक्षद्वीप	4.89	101	0	0	0	0	0	0
27	पुडुचेरी	40.90	681	30.71	720	27.20	573	14.61	355
28	अरुणाचल प्रदेश	46.76	881	17.49	309	32.63	707	0	0
29	असम	84.20	1051	683.51	13000	237.64	5440	18.50	75
30	मणिपुर	42.00	7	56.28	145	141.22	2490	0	0
31	मेघालय	146.58	3192	4.32	46	7.56	201	0	0
32	मिजोरम	35.90	178	0	0	9.12	82	0	0
33	नागालैंड	58.75	1258	23.52	255	19.80	412	0	0
34	सिक्किम	19.09	377	51.32	321	12.84	169	0	0
35	त्रिपुरा	202.07	5134	62.91	350	89.41	2508	0.18	13
36	तेलंगाना	650.86	8383	519.53	2396	496.39	2063	276.39	1165
कुल		20243.04	300865	20571.58	351629	17586.69	241492	4656.20	50221

2. दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग केंद्रीय क्षेत्रक योजना अर्थात् दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत दृष्टि बाधितों सहित दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु परियोजनाओं चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसका लक्ष्य उन्हें अपने इष्टतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यात्मक स्तरों तक पहुंचने तथा उन्हें कायम रखने में सक्षम बनाया जा सके।

पिछले तीन वर्षों ओर चालू वर्ष के दौरान डीडीआरएस के तहत देश में (उत्तर प्रदेश राज्य सहित) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार जारी किया गया सहायता अनुदान और शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या (दृष्टि बाधितों सहित) (लाख रू. में)।

क्र.सं.	राज्य का नाम	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (31.07.2021 की स्थिति के अनुसार)	
		राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	1452.75	7268	2663.05	6187	1597.99	5620	341.09	1303
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	90.86	469	124.72	603	62.02	248	21.25	49
4	बिहार	43.87	323	23.67	53	0	0	25.73	51
5	छत्तीसगढ़	40.64	229	49.78	187	1.63	110	0	0
6	दिल्ली	29.62	369	32.65	501	212.74	685	56.46	337
7	गोवा	0.59	70	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	97.44	762	131.96	864	23.32	378	1.24	47
9	हरियाणा	130.74	935	154.81	512	140.19	505	21.45	73
10	हिमाचल प्रदेश	55.72	100	71.77	302	55.32	212	3.18	17
11	जम्मू और कश्मीर	5.79	43	4.53	81	0	0	0	0
12	झारखंड	1.59	0	10.39	64	0	0	0	0
13	कर्नाटक	86.05	675	41.31	339	81.30	373	0	0
14	केरल	584.86	3780	611.82	2112	628.30	1656	128.76	420
15	मध्य प्रदेश	162.96	1389	155.5	639	214.85	822	26.08	58

16	महाराष्ट्र	202.21	836	342.21	3036	154.33	2049	0	0
17	मणिपुर	525.16	3209	974.01	2597	530.09	1523	181.70	508
18	मेघालय	54.32	645	32.59	443	105.37	322	11.88	27
19	मिजोरम	19.88	153	33.9	168	11.73	20	0	0
20	नागालैंड	2.49	30	2.48	30	26.32	47	0	0
21	ओडिशा	732.76	3143	1001.05	3239	742.04	5953	214.54	1148
23	पंजाब	45.54	595	133.65	588	98.92	272	0	0
24	राजस्थान	152.21	1780	261.6	1096	144.01	370	30.96	76
25	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
26	तमिलनाडु	272.19	1368	191.9	786	208.25	706	8.36	35
27	त्रिपुरा	0.27	70	0	0	0	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	760.28	4623	1018.59	4105	1161.31	3580	168.81	583
29	उत्तराखंड	28.65	320	84.07	197	29.37	144	3.54	42
30	पश्चिम बंगाल	365.88	2417	335.46	3621	311.66	1935	122.33	486
36	तेलंगाना	1014.16	5968	1646.76	5513	1148.12	3932	409.07	1172
31	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0
32	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
34	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	40.42	234	32.61	141	18.48	80	0	0
कुल		6999.90	41803	10166.84	38004	7707.66	31542	1776.43	6432

3. दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं: शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टि बाधितों सहित दिव्यांग छात्रों (एसडब्ल्यूडी) की सहायता करने के लिए, विभाग अम्ब्रैला योजना 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां' का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें छ: घटक शामिल हैं। इस अम्ब्रैला योजना के निम्नलिखित घटक हैं:-

- (i) दिव्यांग छात्रों (एसडब्ल्यूडी) के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X के लिए)
- (ii) दिव्यांग छात्रों (एसडब्ल्यूडी) के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए)
- (iii) दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा (टॉप क्लास) छात्रवृत्ति (शिक्षा में उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा।)
- (iv) राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (विदेश स्थित विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री पीएचडी)
- (v) दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एमफिल और पीएचडी) तथा
- (vi) दिव्यांग छात्रों (एसडब्ल्यूडी) के लिए निशुल्क कोचिंग (ग्रुप क और ख पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं और तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं)

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दृष्टि बाधितों छात्रों सहित दिव्यांग छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत राज्यवार शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या और उपयोग की गई राशि (रुपये करोड़ में)।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (31.07.2021 की स्थिति के अनुसार)	
		लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि
1	अंडमान निकोबार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	आंध्र प्रदेश	217	3.91	628	5.24	201	2.42	76	0.74
3	अरुणाचल प्रदेश	8	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	असम	150	0.81	1089	2.15	19	0.75	314	1.25
5	बिहार	1248	3.84	1771	6.56	903	3.68	1034	2.98
6	चंडीगढ़	4	0.34	17	0.40	2	0.08	29	0.03
7	छत्तीसगढ़	417	0.71	344	0.68	7	0.07	220	0.49
8	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	8	0.01	1	0.00	7	0.01
9	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	दिल्ली	338	2.11	476	1.99	9	0.90	22	0.32
11	गोवा	0	0.00	11	0.02	6	0.04	0	0.00
12	गुजरात	310	1.12	250	1.27	1379	3.24	13	0.13
13	हरियाणा	252	0.92	239	0.90	111	0.57	127	0.36
14	हिमाचल प्रदेश	94	0.33	142	0.38	79	0.49	90	0.30
15	जम्मू और कश्मीर	229	1.30	206	1.01	545	2.44	215	0.40
16	झारखंड	665	1.71	286	1.20	99	0.79	99	0.44
17	कर्नाटक	1686	4.81	1100	5.05	1239	5.44	2148	11.07
18	केरल	2873	3.76	0	0.00	0	0.00	2103	2.78
19	लद्दाख	0	0.00	3669	5.48	4192	4.10	0	0.00
20	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	मध्य प्रदेश	5090	7.59	5429	9.04	4003	4.60	3025	5.06
22	महाराष्ट्र	863	2.98	1082	4.04	459	2.49	491	1.88
23	मणिपुर	0	0.00	12	0.03	7	0.01	0	0.00
24	मेघालय	9	0.02	0	0.00	0	0.00	1	0.02
25	मिजोरम	2	0.00	26	0.04	5	0.00	0	0.00
26	नागालैंड	0	0.00	0	0.00	45	0.05	1	0.00
27	ओडिशा	2076	4.88	3341	7.45	1495	3.01	759	1.52
28	पुडुचेरी	33	0.20	79	0.39	27	0.27	62	0.14
29	पंजाब	531	0.93	444	1.23	1019	1.55	191	0.43
30	राजस्थान	1222	2.75	1567	3.95	76	1.43	1087	1.85
31	सिक्किम	3	0.00	7	0.05	3	0.00	0	0.00
32	तमिलनाडु	1506	3.59	1181	4.42	2000	5.26	553	2.08
33	तेलंगाना	138	1.64	328	1.84	95	6.05	83	1.62
34	त्रिपुरा	81	0.23	159	0.36	66	0.10	131	0.70
35	उत्तराखंड	37	0.17	391	1.48	142	0.46	62	0.19
36	उत्तर प्रदेश	5565	25.80	18205	45.73	7178	36.76	819	7.55
37	पश्चिम बंगाल	4722	9.71	485	2.18	660	4.42	48	0.73
	कुल	30369	86.20	42972	114.57	26072	91.48	13810	45.08

4. दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समग्र योजना (सिपडा) के तहत दृष्टि बाधित व्यक्तियों सहित दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) का शुभारंभ मार्च, 2015 में किया, जो देशभर में (उत्तर प्रदेश राज्य सहित) लागू की गई है, जिसे सरकारी संगठनों (राष्ट्रीय संस्थान/नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन/समेकित क्षेत्रीय केंद्र/अन्य सरकारी संगठन) और गैर-सरकारी संगठनों(एनजीओ) को मिलाकर पैनल में शामिल प्रशिक्षण भागीदारों(ईटीपी) के नेटवर्क के माध्यम से दिव्यांगजनों के कौशल प्रदान किया जाता है।

सिपडा के तहत एनएपी के अधीन देश में (उत्तर प्रदेश राज्य सहित) प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य वार विवरण (रूपये लाख में):

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (06.08.2021 की स्थिति के अनुसार)	
		जारी की गई निधियां	पीडब्ल्यूडी की सं. ^	जारी की गई निधियां	पीडब्ल्यूडी की सं. ^	जारी की गई निधियां	पीडब्ल्यूडी की सं. ^	जारी की गई निधियां	पीडब्ल्यूडी की सं. ^
1	आंध्र प्रदेश	18.89	165	0.00	0	0.00	0	0.00	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
3	असम	7.13	120	0.00	0	1.34	23	0.00	0
4	बिहार	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
5	चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
6	छत्तीसगढ़	0.00	0	11.48	201	0.00	0	0.00	0
7	गोवा	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
8	गुजरात	73.57	0	0.00	0	8.29	0	0.00	0
9	हरियाणा	6.04	0	22.53	0	25.93	710	12.08	180
10	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	6.97	0	0.00	0	0.00	0
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	0	0.00	0	1.06	160	7.21	132
12	झारखंड	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
13	कर्नाटक	30.00	0	0.00	0	3.42	30	0.00	0
14	केरल	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
15	मध्य प्रदेश	121.96	0	0.00	0	30.46	719	2.84	0
16	महाराष्ट्र	233.68	30	0.00	0	0.00	0	0.00	0
17	मणिपुर	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
18	मेघालय	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
19	मिजोरम	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
20	नागालैंड	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
21	नई दिल्ली	3276.02	44380	1.74	60	20.56	510	0.00	0
22	ओडिशा	0.00	0	19.59	210	0.00	0	0.00	0
23	पंजाब	0.00	0	0.00	0	0.65	0	0.00	0
24	राजस्थान	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
25	सिक्किम	50.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
26	तमिलनाडु	17.83	140	30.25	385	34.44	0	0.00	0
27	तेलंगाना	173.87	1585	0.00	0	11.60	0	0.00	0
28	त्रिपुरा	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
29	उत्तराखंड	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
30	उत्तर प्रदेश	59.30	386	0.00	0	13.26	967	0.00	0
31	पश्चिम बंगाल	134.50	480	31.94	578	90.49	0	22.36	0
32	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
33	दादर और नागर हवेली	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0



34	दमन और दीव	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
35	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
36	पुडुचेरी	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
कुल		4203.26	47286	124.5	1434	241.5	3119	44.49	312

^ दिव्यांगजनों की संख्या उन लोगों से संबंधित है, जिन्हें पहली किशत जारी की गई है।

5. सुगम्य भारत अभियान: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगों के स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन के लिए बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के उद्देश्य से दिसंबर 2015 में सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान को 3 घटकों के तहत लागू किया जा रहा है नामतः सुगम्य निर्मित वातावरण, सुगम्य परिवहन प्रणाली और सुगम्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र।

निर्मित पर्यावरण लक्ष्य के लिए सुगम्य भारत अभियान के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (उत्तर प्रदेश राज्यों सहित) को जारी की गई निधियां :

क्र.सं.	व	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (06.08.2021 की स्थिति के अनुसार)		
		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधियां (रू. लाख में)	वित्त पोषित भवनों की संख्या	जारी की गई निधियां (रू. लाख में)	वित्त पोषित भवनों की संख्या	जारी की गई निधियां (रू. लाख में)	वित्त पोषित भवनों की संख्या	जारी की गई निधियां (रू. लाख में)	वित्त पोषित भवनों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश		718.16	0	0	0	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश		0	0	789.28	6	0	0	0	0
3	असम		0	0	697.83	24	0	0	0	0
4	बिहार		0	0	0	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़		0	0	1988.22	24	91.77	0	0	0
6	गोवा		444.63	30	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात		0	0	0	0	0	0	0	0
8	हरियाणा		880.02	17	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश		48.49	3	390.98	8	0	0	0	0
10	झारखंड		583.43	0	0	0	0	0	0	0
11	कर्नाटक		1104.11	20	1604.54	27	0	0	0	0
12	केरल		429.98	28	0	0	0	0	0	0
13	मध्य प्रदेश		467.49	7	190.03	5	0	0	0	0
14	महाराष्ट्र		0	0	0	0	627.42	0	0	0
15	मणिपुर		0	0	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय		325.16	0	31.88	1	0	0	0	0
17	मिजोरम		0	0	417.67	10	0	0	0	0
18	नागालैंड		0	0	0	0	317.61	13	0	0
19	ओडिशा		1028.49	7	221.73	7	0	0	0	0
20	पंजाब		837.74	14	1144.02	6	0	0	0	0
21	राजस्थान		0	0	0	0	0	0	0	0
22	सिक्किम		0	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु		0	0	0	0	2856.37	14	0	0

24	त्रिपुरा	0	0	2625.04	14	0	0	0	0
25	उत्तर प्रदेश	746.28	38	1446.71		0	0	0	0
26	उत्तराखण्ड	115.56	5	372.88	7	0	0	0	0
27	पश्चिम बंगाल	1105.22	0	0	0	0	0	0	0
28	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	632.32	23	0	0	448.59	2	0	0
29	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
32	जम्मू और कश्मीर	1073.98	11	878.58	14	0	0	0	0
33	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0
34	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
36	तेलंगाना	459.62	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	11000.7	203	12799.4	153	4341.76	29	0	0

दिनांक 10.08.2021 को उत्तरार्थ "भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति" के संबंध में श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उठाए गए लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 3513 के भाग (ग) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध :

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के कार्यान्वयन के लिए शामिल किए गए लाभार्थियों और आवंटित निधियों का राज्य/संघ राज्य संघ- वार विवरण:

(रूपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-2019		2019-2020		2020-21		2021-22 (05-08-2021 की स्थिति के अनुसार)	
		जारी की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	905.24	24413	905.24	24413	905.245	24413	226.31	24413
2	बिहार	3813.72	102851	4470.44	120562	4470.435	120562	1169.47	126156
3	छत्तीसगढ़	1161.76	31331	1158.56	31245	890.39	32017		31953
4	गोवा	0.00	41	0	41	0	41		466
5	गुजरात	343.55	9265	399.5	10774	458.68	12370	190.56	20557
6	हरियाणा	427.79	11537	213.9	11537	153.8	11537		11537
7	हिमाचल प्रदेश	25.55	689	31.56	851	31.56	851		853
8	जम्मू और कश्मीर	88.19	2789	32.39	2769	27.99	2426		2426
9	झारखंड	838.76	21969	907.38	24836	711.87	25598	482.91	26496
10	कर्नाटक	1618.13	43639	1618.14	43639	1618.12	43639	404.53	43639
11	केरल	1664.98	29935	554.99	29935	1387.49	29935		29935
12	मध्य प्रदेश	3705.18	99924	2894.46	99924	3550.37	99924	899.42	99924
13	महाराष्ट्र	0.00	7155	0	7654	0	8522		8870
14	ओडिशा	2980.97	80393	2241.94	82182	3330.77	86767		85805
15	पंजाब	270.22	4979	0	5151	174.13	4710		5656
16	राजस्थान	1014.96	27372	232.51	28137	1093.72	29496		30502
17	तमिलनाडु	2120.82	57196	1015.77	57201	1060.5	57201		63261
18	तेलंगाना	646.97	17448	323.48	17448	970.44	17448	161.74	17448
19	उत्तर प्रदेश	2791.38	75280	2714.74	73213	2035.76	73213	697.85	75280
20	उत्तराखंड	103.37	2235	52.32	2822	130.795	2822		2880
21	पश्चिम बंगाल	2327.70	62775	1637.37	65177	2277.768	65802	236.98	62049
22	अरुणाचल प्रदेश	49.69	112	0	112	0	1284		112
23	असम	701.40	18916	701.4	18916	701.4	18916	175.35	18916
24	मणिपुर	18.67	1007	37.34	1007	55.99	1007		1007
29	मेघालय	33.49	969	29.86	969	35.92	969		969
26	मिजोरम	14.83	400	14.84	400	14.84	400		400
27	नागालैंड	47.15	960	35.6	960	35.6	960	8.9	960

28	सिक्किम	9.07	489	17.43	451	24.84	451		457
29	त्रिपुरा	39.75	2144	75.98	1954	33.23	1783		1769
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	1	0	1	5.42	1		2
31	चंडीगढ़	0.00	100	0	100	0	100		100
32	दादरा और नगर हवेली	0.00	142	0	142	0			254
	दमन और दीव	0.00	66	0	66		208		
33	एनसीटी ऑफ दिल्ली	234.38	6321	117.19	6321	117.2	6321		6321
34	लद्दाख			लागू नहीं		0.87	363		150
35	लक्षद्वीप	0.00	51	0	51	0	51		51
36	पुडुचेरी	23.31	1259	46.65	1259	8.92	1259		1259
कुल योग		28020.98	746153	22480.98	772220	26314.06	783367	4654.02	802833